सत्यमेव जयते

भारत सरकार

सोलहवें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के संबंध में व्याख्यात्मक ज्ञापन

फरवरी, 2026

वित्त मंत्रालय
बजट प्रभाग

17 नवंबर, 2025 को माननीय राष्ट्रपति को सौंपी गई सोलहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के संबंध में व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. सोलहवें वित्त आयोग (XXI-FC) [इसके आगे आयोग] का गठन इसके विचारार्थ विषयों के साथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा का. आ. 5533 (अ.) दिनांक 31 दिसंबर, 2023 के माध्यम से दिनांक 31 दिसंबर, 2023 को किया गया था। आयोग को 31 अक्तूबर, 2025 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। आयोग के कार्यकाल को का. आ. 4640 (अ.) दिनांक 10 अक्तूबर, 2025 के माध्यम से एक माह के लिए बढ़ाया गया था जिसमें आयोग को 30 नवंबर, 2025 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी। आयोग ने माननीय राष्ट्रपति को 17 नवंबर, 2025 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी।

2. 1 अप्रैल, 2026 से प्रारंभ वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के साथ-साथ आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन को शामिल करने वाली आयोग की यह रिपोर्ट संविधान के अनुच्छेद 281 के अनुसरण में सदन के पटल पर प्रस्तुत की जा रही है। केंद्र और राज्यों के बीच केंद्रीय करों की निवल प्राप्तियों को साझा करने, संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत राज्यों के राजस्व का सहायता अनुदान, आपदा प्रबंधन का वित्तपोषण, स्थानीय निकायों को अनुदान और अन्य सिफारिशों से संबंधित मुख्य सिफारिशों का सार इस ज्ञापन में समाहित है। इस ज्ञापन में वृहत और राजकोषीय स्थिरता मार्ग, ऊर्जा क्षेत्र में सुधार, सब्सिडी को सीमित करना

और उसका कुशलतापूर्वक उपयोग और आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यथा-अंतर्विष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम सुधारों को भी शामिल किया गया है।

<u>कर राजस्वों को साझा करनाः उर्ध्व अंतरण (Vertical Devolution)</u>

3. आयोग ने राज्यों के हिस्से को केंद्रीय करों की निवल प्राप्तियों (विभाज्य पूल) के 41 प्रतिशत पर बनाए रखा है।

4. आयोग ने सिफारिश की है कि विभाज्य पूल और प्रत्येक वर्ष किए गए वास्तविक वितरण के बारे में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए संघ सरकार को अनुच्छेद 279 के तहत सीएजी द्वारा यथाप्रमाणित निवल प्राप्ति से संबंधित डाटा प्रकट करना चाहिए।

सरकार ने आयोग की उपर्युक्त सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

<u>कर राजस्व साझा करनाः क्षैतिज अंतरण (Horizontal Devolution)</u>

5. आयोग ने मानक के रूप में जनसंख्या, जनसांख्यिकीय प्रदर्शन, क्षेत्र, वन, प्रति-व्यक्ति-आय-दूरी और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लिए राज्य के अंशदान के आधार पर राज्यों का पारस्परिक हिस्सा निर्धारित किया है। आयोग द्वारा यथा अनुमोदित क्षैतिज अंतरण के सूत्र और विभिन्न मानदंडों को समनुदेशित भार का विवरण रिपोर्ट की तालिका 8.8 में दिया गया है। आबंटन अवधि के लिए क्षैतिज अंतरण में राज्यों के हिस्से का विवरण तालिका 8.9 में दिया गया है।

सरकार ने आयोग की उपर्युक्त सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

<u>राज्यों के वित्त और राज्यों को राजस्व के सहायता अनुदान का आकलन</u>

6. आयोग ने राज्यों के लिए राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश नहीं की है। आयोग ने किसी भी क्षेत्र-विशिष्ट या राज्य-विशिष्ट अनुदान की भी सिफारिश नहीं की है। आयोग का प्रेक्षण है कि सामान्य तौर पर राज्य वित्त और विशेष तौर पर कर राजस्व, प्रतिबद्ध व्यय, और विवेकाधीन व्यय यह दर्शाते है कि राजस्व में वृद्धि करने और व्यय को युक्तिसंगत बनाने के समुचित अवसर हैं।

सरकार ने आयोग के उपर्युक्त आकलन को नोट कर लिया है।

<u>राज्यों के वित्त और राज्यों को राजस्व सहायता अनुदान का आकलन</u>

स्थानीय निकाय अनुदान

7. आयोग ने यह सिफारिश की है कि ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के लिए अनुदान को मूल और निष्पादन घटकों में वर्गीकृत किया जाए और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए अनुदान को मूल, निष्पादन, विशेष अवसंरचना और शहरीकरण प्रीमियम घटकों में वर्गीकृत किया जाए। मूल और निष्पादन घटकों के लिए सकल राष्ट्रीय अनुदान आबंटन को कुल मिलाकर आरएलबी और यूएलबी के बीच 60:40 के अनुपात में विभाजित किया गया है। आयोग ने सिफारिश की है कि आरएलबी और यूएलबी दोनों के लिए मूल और निष्पादन घटकों के बीच 80:20 के अनुपात में विभाजन किया जाए।

8. आयोग ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए सम्यक रूप से गठित ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए कुल 7,91,493 करोड़ रू. के अनुदान की सिफारिश की है। आयोग ने अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या (2026) और क्षेत्र के 90:10 के अनुपात के आधार पर राज्यों के आरएलबी के बीच अनुदान के परस्पर वितरण की सिफारिश की है। यूएलबी के लिए क्रमशः अनुमानित शहरी जनसंख्या (2026) और यूएलबी के स्वयं के राजस्व (ओएसआर) के 90:10 अनुपात द्वारा परस्पर राज्य वितरण निर्धारित किया गया है।

9. आयोग ने सिफारिश की है कि संबंधित राज्य सरकार स्थानीय निकायों के संबंध में आयोग की सिफारिशों के अनुरूप छूट प्राप्त क्षेत्रों के लिए आबंटन करेगी।

10. आयोग ने स्थानीय निकाय अनुदान का दावा करने के लिए राज्यों की पात्रता हेतु तीन एंट्री लेवल शर्तों की सिफारिश की है। सर्वप्रथम, संविधान के भाग-IX और भाग भाग-IX क में यथापेक्षित सम्यक रूप से गठित निकाय वजूद में होना चाहिए। दूसरा, वर्ष टी में पब्लिक डोमेन में ऑनलाइन उपलब्धता, राजकोषीय वर्ष टी-1 के लिए राज्य के सभी आरएलबी और यूएलबी के अनन्तिम लेखे और राजकोषीय वर्ष टी-2 के लिए लेखापरीक्षित लेखे विद्यमान होने चाहिए। तीसरा, आयोग ने सिफारिश की है कि राज्यों को पिछले एसएफसी के गठन से पांच वर्ष समाप्त होने पर राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) के नियमित गठन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन करना चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि एसएफसी

रिपोर्ट के प्रस्तुत होने के 6 माह के भीतर राज्य विधानमंडल में की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।

11. आयोग ने यह सिफारिश की है कि आरएलबी और यूएलबी दोनों के लिए स्थानीय निकाय अनुदान मूल (80 प्रतिशत) और निष्पादन (20 प्रतिशत) में विभाजित किया जाए जिसे बाद में दो समान भागों यथा (i) आरएलबी/यूएलबी निष्पादन घटक और (ii) राज्य निष्पादन घटकों में विभाजित किया जाए। आयोग ने सिफारिश की है कि राज्यों को मूल घटक तीन एंट्री लेवल (पात्रता शर्तें) को पूरा करने के उपरांत ही उपलब्ध करवाया जाए।

12. निष्पादन घटक प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायतों, ब्लॉक पंचायतों, जिला पंचायतों, यूएलबी के लिए पात्रता के संबंध में आयोग की सिफारिशें रिपोर्ट के खंड I के पैरा 10.97, 10.98 और 10.99 में दी गई हैं। आयोग ने रिपोर्ट के खंड I के पैरा 10.100 के संबंध में राज्य निष्पादन घटक जारी किए जाने के लिए सिफारिशें की हैं। अपूर्ण निष्पादन शर्तों के मामले में राज्य स्थानीय निकाय निष्पादन अनुदानों के असंवितरित हिस्से के संवितरण के तौर-तरीकों के संबंध में आयोग की सिफारिशें रिपोर्ट के खंड I के पैरा 10.101 पर की गई हैं।

13. आयोग ने सिफारिश की है कि मूल घटक का 50 प्रतिशत आरक्षित कर लिया जाए और मूल घटक का 50 प्रतिशत और समग्र निष्पादन घटक मुक्त

रखा जाए। आरक्षित घटक को 'स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन' और/या 'जल प्रबंधन' के लिए निदेशित किया जाए।

14. आयोग ने सिफारिश की है कि किसी भी स्थानीय निकाय को निर्माण और सड़कों के रखरखाव पर मुक्त आबंटन का 20 प्रतिशत से अधिक खर्च करने की अनुमति न दी जाए। इसके अलावा, इसने सिफारिश की है कि मुक्त अनुदान को वेतन के भुगतान या अन्य स्थापना संबंधी व्यय के लिए प्रयुक्त न किया जाए।

15. आयोग ने सिफारिश की है कि ग्रामीणों को शहरों में बसने को प्रोत्साहित करने के लिए शहरीकरण प्रीमियम की कुल प्रमात्रा 2000/-रु. प्रति व्यक्ति की नियत प्रति व्यक्ति एकबारगी पात्रता राशि के साथ पूर्ण आबंटन अवधि के लिए 10,000 करोड़ रु. होगी। आयोग ने सिफारिश की है कि राज्यों द्वारा शहरों की सीमा के आस-पास बसे गांव जिनकी मौजूदा आबादी एक लाख से कम न हो, को निकटस्थ यूएलबी के साथ विलय करने और ग्रामीण से शहरी स्थानांतरण की उपयुक्त नीति तैयार करने पर ही शहरीकरण प्रीमियम घटक जारी करने का अनुरोध किया जाए।

16. आयोग ने शहरी विकास केंद्रों में व्यापक अपशिष्ट जल प्रबंधन में निर्णायक उपाय करने के लिए 56,100 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ चुनिंदा यूएलबी के लिए एक विशेष अवसंरचना घटक की सिफारिश की है।

17. आयोग ने सिफारिश की है कि स्थानीय निकाय अनुदान मौजूदा पद्धतियों की अनुरूपता में और आयोग द्वारा विहित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन

न्यूनतम दो समान किश्तों में जारी होता रहेगा। आयोग ने यह सिफारिश भी की है कि संघ सरकार यह सुनिश्चित करे कि जहां राज्य के भीतर स्थानीय निकायों का एक समूह शर्तों को पूरा करता है तो उनको देय अनुदान शेष निकायों की प्रतीक्षा किए बिना जारी किया जाए।

18. आयोग ने सिफारिश की है कि राज्य सरकारों को संघ सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर संबंधित स्थानीय निकायों को इन अनुदानों का अंतरण किया जाना सुनिश्चित करना चाहिए। इस अंतरण में विहित दस दिनों की अवधि से अधिक विलंब होने पर राज्य सरकारों को पिछले वित्त वर्ष के बाजार ऋण/राज्य विकास ऋण पर लागू ब्याज की प्रभावी दर पर परिकलित ब्याज के साथ निधियां जारी करना बाध्यकारी होगा। आयोग ने सिफारिश की है कि रिपोर्ट के स्थानीय निकाय अनुदान पर अध्याय में स्पष्ट रूप से उल्लिखित शर्तों के अलावा स्थानीय निकाय अनुदान जारी करने के लिए संघ सरकार या राज्य सरकार द्वारा कोई और शर्त अध्यारोपित नहीं की जाएगी।

19. स्थानीय निकाय अनुदान से संबंधित आयोग की विस्तृत सिफारिशें रिपोर्ट के खंड-I के अध्याय 10 में समाविष्ट हैं।

सरकार ने आयोग की उपर्युक्त सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

आपदा प्रबंधन वित्तपोषण

20. आयोग ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की आबंटन अवधि के लिए राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राज्य आपदा शमन निधि

(एसडीएमएफ) के लिए कुल मिलाकर 2,04,401 करोड़ रु. की कुल धनराशि की सिफारिश की है। आयोग द्वारा अनुशंसित राज्य-वार आबंटन रिपोर्ट के खंड II के अनुलग्नकों 11.3 और 11.4 में देखा जा सकता है। उपर्युक्त धनराशि में संघ का हिस्सा 1,55,915.85 करोड़ रु. तथा राज्य का हिस्सा 48,485.15 करोड़ रु. है। आयोग ने गैर-पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों (नान-एनईएच) के लिए संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच लागत साझा करने का अनुपात 75:25 तथा पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों (एनईएच) के बीच यह अनुपात 90:10 रखने की सिफारिश की है।

21. आयोग ने सिफारिश की है कि इस कार्पस को एसडीआरएफ और एसडीएमएफ के बीच 80:20 के अनुपात में विभाजित किया जाए। आयोग ने एसडीआरएफ के लिए 1,63,521 करोड़ रु. का आबंटन तथा एसडीएमएफ के लिए 40,880 करोड़ रु. का आबंटन किए जाने की सिफारिश की है। आयोग ने सिफारिश की है कि एसडीआरएफ के भीतर मोचन और राहत तथा रिकवरी और पुनर्निर्माण के बीच पुनर्आबंटन के लिए लचीला रूख अपनाया जाए। तैयारी और क्षमता निर्माण को एसडीएमएफ और राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (एनडीआरएफ) के अंतर्गत शामिल किए जाने की सिफारिश की गई है।

22. आयोग ने सिफारिश की है कि एसडीआरएफ के अंतर्गत संचित निधि को उस सीमा तक सीमित रखा जाए कि यदि एसडीआरएफ के अंतर्गत व्यय न की गई शेष राशि एसडीआरएफ के पिछले तीन वर्षों के वार्षिक आबंटन की राशि से अधिक हो जाती है तो आगे धनराशि जारी किया जाना अस्थाई तौर

पर स्थगित रखा जाए। स्थगित निधियों को तभी जारी किया जाए जब राज्यों की शेष राशि पिछले तीन वर्षों के वार्षिक आबंटन की सीमा से कम हो जाए।

23. आयोग ने राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (एनडीएमएफ) के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए विगत के अनुभवों के आधार पर आबंटन अवधि 2026-27 से 2030-31 के लिए 79,406 करोड़ रु. के कुल आबंटन की सिफारिश की है। आयोग ने एनडीआरएफ (मोचन और राहत को छोड़कर) और एनडीएमएफ के माध्यम से केंद्रीय सहायता की ग्रेडेड लागत हिस्सेदारी व्यवस्था बनाए रखने की सिफारिश की है। आयोग ने सिफारिश की है कि राज्य को 250 करोड़ रु. तक की सहायता के लिए 10 प्रतिशत, 500 करोड़ रु. तक की सहायता के लिए 20 प्रतिशत तथा 500 करोड़ रु. से अधिक की सभी सहायता राशि के लिए 25 प्रतिशत का अंशदान करना होगा। तथापि, एनईएच राज्यों को आयोग की सिफारिशों के अनुसार एनडीआरएफ और एनडीएमएफ के अंतर्गत केंद्रीय सहायता के 10 प्रतिशत हिस्से का अंशदान करना चाहिए।

24. आयोग ने सिफारिश की है कि आबंटन अवधि के दूसरे वर्ष यानि 2027-28 से आपदा प्रबंधन अनुदान प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली (एनडीएमआईएस) पोर्टल (उत्तरवर्ती वर्ष के 31 मई तक के वित्त वर्ष के लिए) में डाटा की संपूर्ण फीडिंग और उसका विधिमान्यकरण राज्यों के लिए अनिवार्य शर्त होगी।

25. आपदा प्रबंधन के वित्तपोषण के संबंध में आयोग की विस्तृत सिफारिशें रिपोर्ट के खंड 1 के अध्याय 11 में समाविष्ट हैं।

सरकार ने आयोग की उपर्युक्त सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

<u>वृहद और राजकोषीय स्थिरता का मार्ग</u>

26. आयोग ने सिफारिश की है कि राज्यों का राजकोषीय घाटा उनके संबंधित जीएसडीपी के 3 प्रतिशत पर रखा जाए और राज्य सरकारों के ऋण की स्थिरता भी सुनिश्चित की जाए, इसे संविधान के अनुच्छेद 293 के खंड (3) के अनुसरण में कड़ाई से लागू किया जाए। संघ सरकार को अपने राजकोषीय घाटे को आबंटन अवधि की समाप्ति तक घटाकर जीडीपी के 3.5 प्रतिशत तक कम किया जाए। आयोग ने सिफारिश की है कि राज्यों को बजटेतर ऋण भारित करने की प्रथा को पूर्णतः बंद कर देना चाहिए और ऐसे सभी ऋणों को अपने बजट में शामिल करना चाहिए। इसने बजटेतर ऋणों की रिपोर्टिंग के लिए एक फार्मेट का सुझाव दिया है और सिफारिश की है कि ऋणदात्री संस्थाओं को बजटेतर ऋणों के लिए रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बनाने के लिए डाटा का वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध करवाना चाहिए। आयोग ने सिफारिश की है कि राज्यों के राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (एफआरएल) फ्रेमवर्क को संशोधित किया जाए ताकि एकरूपता लाई जा सके और अननुरूपता को दूर किया जा सके तथा उसे आयोग के राजकोषीय समेकन रोडमैप से सुमेलित किया जा सके।

सरकार ने राज्यों के लिए निवल ऋण की उच्चतम सीमा की मात्रा (जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में उल्लिखित) संबंधी सिफारिश को सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। बजटेतर ऋण, राज्य एफआरएल का संशोधन, संघ सरकार राजकोषीय घाटे से संबंधित सिफारिशों सहित आयोग की अन्य सिफारिशों का अलग से परीक्षण किया जाएगा।

<u>**अन्य सिफारिशें**</u>

27. उपर्युक्त के अलावा, आयोग ने अन्य सिफारिशें भी की है जिनमें केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों का यौक्तिकीकरण (रिपोर्ट के खंड I का पैरा 6.41), ऊर्जा क्षेत्र में सुधार (खंड I का अध्याय 13), सब्सिडी को सीमित करना तथा इसका कुशलतापूर्वक उपयोग (खंड I का अध्याय 14), सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम सुधार (खंड I का अध्याय 15) आदि संबंधी सिफारिशें शामिल हैं।

सरकार आयोग की इन सिफारिशों का यथा-समय परीक्षण करेगी

<u>**कार्यान्वयन**</u>

28. संविधान के अनुच्छेद 270 के अंतर्गत केंद्रीय कर और शुल्क में हिस्सेदारी, स्थानीय निकायों को अनुदान और आपदा प्रबंधन के वित्तपोषण से संबंधित स्वीकृत सिफारिशों पर आदेश माननीय राष्ट्रपति के अनुमोदन प्राप्त होने के बाद जारी किए जाएंगे। आयोग की वृहत और राजकोषीय स्थिरता, ऊर्जा

क्षेत्र, सब्सिडी को सीमित करना तथा इसका कुशलतापूर्वक उपयोग, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम सुधार आदि संबंधी सिफारिशों तथा अन्य सिफारिशों पर यथा-समय कार्रवाई की जाएगी।

नई दिल्ली
01 फरवरी, 2026

निर्मला सीतारमन
वित्त मंत्री